न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 99/17 (RCMS No. 2017/00110) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. करणा पुत्र गोरधन
2. गिर्राज पुत्र गिरधारी (मृतक)

2/1. रामजी लाल पुत्र गिर्राज
3. लट्टू | पिसरान गिरधरी
4. जयराम |
5. भागचन्द |
6. प्रेमराज | पिसरान श्योराम
7. हनुमान |
8. मोरपाली पत्नि बजरंग लाल
9. कैलाश | पिसरान तुलसीराम
10. चिरंजी |
11. रतन लाल | पिसरान बदरी लाल
12. चन्दन |
13. पप्पू पुत्र रामलाल

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2014

उपस्थितिः—

1. श्री अब्दुल बहाव वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य **दिनांकः—14.02.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 247/1 रकवा 3 बीघा वांके ग्राम घुड़ासी तहसील सवाई माधोपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आबादी की भूमि है जिसमें ग्राम पंचायत रामड़ी द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी किये गये थे तथा मौके पर अपीलान्ट के मकानात बने हुऐ हैं। सैटिलमेन्ट ने गत ख0 नं0 247/1 के हाल ख0 नं0 476, 477 व 478 बनाये हैं उनमें से ख0 नं0 477 गैर मुमकिन चाह को छोड़कर शेष खसरा नम्बरान को चारागाह में अंकित कर दिया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान आबादी में दर्ज होने चाहिये थे। अतः दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि का अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर यह माना कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि पर विधि अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही किया जाना निषेध मानते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। उनका तर्क है कि नामा0 सं0 315 दिनांक 27.01.73 ग्राम घुडासी से साबिक ख0 नं0 247/1 रकवा 3 बीघा भूमि आबादी में दर्ज हुई थी। अपीलान्ट को ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि के पट्टे जारी किये थे। वर्तमान में अपीलान्टस अपने अपने पट्टों की भूमि पर काबिज हैं। सैटिलमेन्ट ने हाल ख0 नं0 476, 477 एवं 478 बनाये हैं जिनमें ख0 नं0 477 गै0 मु0 चाह को छोड़कर शेष ख0 नं0 को चारागाह अंकित कर दिया है जबकि उक्त भूमि आबादी में अंकित होनी चाहिये थी। इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की थी जिसमें अपीलान्ट के कथन की पुष्टि की है। अपीलान्ट जहॉ काबिज हैं वह पूर्व में आबादी दर्ज थी, लेकिन गलती से अब चारागाह दर्ज हो गयी है। पटवारी व तहसीलदार ने उक्त आराजी को आबादी की भूमि माना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 476 व 478 चारागाह की आराजी है। चारागाह की भूमि पर अपीलान्ट काबिज हैं। अपीलान्ट चारागाह की आराजी को आबादी में दर्ज कराना चाहते हैं, जो विधि के अनुरूप किया जाना संभव नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर कथन किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 247/1 रकवा 3 बीघा वांके ग्राम घुड़ासी तहसील सवाई माधोपुर आबादी की भूमि है जिसमें ग्राम पंचायत रामड़ी द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी किये गये थे तथा मौके पर अपीलान्ट के मकानात बने हुऐ हैं। सैटिलमेन्ट ने गत ख0 नं0 247/1 के हाल ख0 नं0 476, 477 व 478 बनाये हैं उनमें से ख0 नं0 477 गैर मुमकिन चाह को छोड़कर शेष खसरा नम्बरान को चारागाह में अंकित कर दिया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान आबादी में दर्ज होने चाहिये थे। अतः दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि का अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर यह माना कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि पर विधि अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही किया जाना निषेध मानते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 476 व 478 चारागाह की आराजी है जिसमें धारा 16 के तहत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी को किसी प्रकार के अधिकार नही दिये जा सकते हैं। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में अपीलान्ट को किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपीलान्ट को इस संबंध में सक्षम न्यायालय में दावा दायर करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official